प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 70/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ड्राफ्ट दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (संशोधन) विनियम, 2019 के संबंध में टिप्पणियां प्राप्त करने की समय–सीमा का विस्तार करना

नई दिल्ली, 11 सितंबर, 2019 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 27 अगस्त, 2019 को ड्राफ्ट दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (संशोधन) विनियम, 2019 जारी किया था। हितधारकों से लिखित टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख 9 सितंबर, 2019 निर्धारित की गई थी।

2. हितधारकों ने ड्राफ्ट दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (संशोधन) विनियम, 2019 पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है। इसको देखते हुए, लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 16 सितंबर, 2019 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद, समय–सीमा को और बढ़ाए जाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. टिप्पणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बीएंडसीएस), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, को ईमेलः– advbcs-2@trai.gov.in या sapna.sharma@trai.gov.in. पर भेजें। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बीएंडसीएस) से टेलीफोन नंबर +91–11–23237922 या फैक्सः +91–11–23220442 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।